कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम–03 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं ब्रह्मदत्त शर्मा, वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर 03 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/बजट/बी–4/25605/2018–19/242 दिनांक 21.02.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित शालाओं के लिए पद एवं राशि का आवंटन किया गया है, इन माध्यमिक शालाओं के लिए संस्था प्रधानों को कार्यालयाध्यक्ष (Head of office) घोषित करता हूँ । समय–समय पर जारी किये गये वित्तीय नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का ये प्रयोग करेंगे तथा विशेष रूप से इन्हे निम्नांकित कार्य करने के लिए इन्हे अधिकृत करता हूँ :–

1. राजकोष में प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वयं के तथा अपने कार्यालय के राजपत्रित /अराजपत्रित कर्मचारियों के निजी भुगतानों (वेतन एवं भत्ते) के बिलों पर हस्ताक्षर आहर्ता अधिकारी के रूप में करना ।
2. उपरोक्त प्रकार के आहरित किये गये बिलों की राशि के भुगतान सम्बन्धित सभी रजिस्टरों एवं अभिलेखों में किये गये सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना ।
3. उनके द्वारा इस प्रकार से आहरित किये गये बिलों की राशि के भुगतान सम्बन्धित सभी रजिस्टरों एवं अभिलेखों में किये गये सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना ।
4. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वित्तीय नियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत स्वीकृत अनावर्तक राशि का व्यय करना ।
5. वित्तीय नियमों एवं समय –समय पर जारी किये गये आदशों के अनुसार आकस्मिकताओं पर आवर्तक व्यय करना ।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत (प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकताओं को छोड़कर) आकस्मिक व्यय करने हेतु निधि प्रेषित करने के लिए सभी बिलों पर हस्ताक्षर करना ।
7. उचित प्राप्तकर्त्ताओं को ऐसे प्रभारों के भुगतान किये जाने को प्रमाणित करना तथा उनको सत्यापन की साक्षी में रोकड़ पुस्तिकाओं से सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना ।
8. कोषाधिकारी को बिलों को प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रति एवं अपने नियंत्रण अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करेंगे ।
9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के नियमों के अध्याय 10 में शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुसूची के क्रमांक–2 के तहत इन्हे स्वयं के यात्रा बिलों के अलावा कार्यालय के उपरोक्त (1) में अंकित अधिकारी/कर्मचारियों के यात्रा बिलों के लिए भी नियंत्रण अधिकारी बनाया जाता है ।

संलग्नः सूची

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/स्थिरी–स/34180/सामान्य/कार्यालयाध्यक्ष/2018–19 दिनांकः 25.02.2019

प्रतिलिपिः

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष/ ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

संशोधन आदेश

इस कार्यालय द्वारा निम्नांकित विद्यालयों के लिए आहरण वितरण अधिकार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 03 (ए) के अन्तर्गत आदेश जारी किये गये थे, में निम्नांकित आंशिक संशोधन किया जाता है :–

क्र.सं.	जारी आदेश की दिनांक	जारी आदेश की क्र.सं	जारी आदेश की कॉलम संख्या	संशोधन
1	19.02.2019	7	4	उपकोष रानीवाड़ा के स्थान पर उपकोष आहोर संशोधित पढा जावे ।

शेष विवरण मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगे ।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / माध्य / स्थिरी–स / 34180 / संशोधन / 18–19 दिनांक : 25.02.19

प्रतिलिपिः

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष / ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

1	प्रधानाचार्य, राउमावि मैठून, अकलेरा, झालावाड़	श्री राजेश कुमार मीना, व्या. राउमावि मैठून, अकलेरा, झालावाड़	अकलेरा
2	प्रधानाध्यापक, रामावि पण्डरेऊ, टिब्बा, चूरू	श्री इन्द्राज महला, प्रधानाचार्य, राआउमावि नेठवा, तारानगर, चूरू	तारानगर
3	प्रधानाचार्य, राआउमावि झोथड़ा, तारानगर, चूरू	श्री राजवीर सिंह, व्या. राआउमावि झोथड़ा, तारानगर, चूरू	तारानगर
4	प्रधानाचार्य, राउमावि बून्दी	श्री सुनील कुमार शर्मा, व्या. राउमावि बून्दी	बून्दी
5	प्रधानाचार्य, रा.म.उ.मा.वि. रायपुर, भीलवाड़ा	श्री अब्दुल लतीफ, व्या. रा.म.उ.मा.वि. रायपुर, भीलवाड़ा	रायपुर
6	प्रधानाचार्य, राआउमावि गुरारा, खण्डेला, सीकर	श्री देवकरण मीणा, व्या. राआउमावि गुरारा, खण्डेला, सीकर	खण्डेला

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/स्थिरी–स/34180/18–19/
दिनांकः 25.02.2019

प्रतिलिपिः

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष/ ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

आदेश संख्या : 2

1	प्रधानाचार्य, राउमावि बामनवास कांकड़, थानागाजी, अलवर	श्री धर्मचन्द गुप्ता, व्या. राउमावि बामनवास कांकड़, थानागाजी, अलवर	थानागाजी
2	प्रधानाचार्य, राउमावि खेराड़, सलूम्बर, उदयपुर	श्री दौलत राम मीणा, व्या. राउमावि खेराड़, सलूम्बर, उदयपुर	सलूम्बर
3	प्रधानाचार्य, राउमावि हलेड़, सुवाणा, भीलवाड़ा	श्री रमेश कुमार पारीक, व्या. राउमावि हलेड़, सुवाणा, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
4	प्रधानाध्यापक, रामावि बिजोली, सूरजगढ, झुंझुनूं	श्री बनवारीलाल, प्रधानाध्यापक, सूरजगढ मंडी, झुंझुनूं	सूरजगढ
5	प्रधानाचार्य, राउमावि खाजूवाला, बीकानेर	श्री लालचन्द प्रजापत, व्या. राउमावि खारवाली, बीकानेर	छतरगढ
6	प्रधानाचार्य, राउमावि खारा, बीकानेर	श्रीमती सीमा अरोड़ा, व्या. राउमावि खारा, बीकानेर	बीकानेर
7	प्रधानाध्यापक, रामावि चाटपुर, सलुम्बर, उदयपुर	श्री दिनेश कुमार कचोरिया, प्रधानाध्यापक, रामावि तुलसियों का नामला, सलुम्बर, उदयपुर	सलुम्बर
8	प्रधानाचार्य, राउमावि गींगला, सलुम्बर, उदयपुर	श्री जगदीश चन्द्र दशोरा, व्या. राउमावि गींगला, सलुम्बर, उदयपुर	सलुम्बर
9	प्रधानाचार्य, राउमावि कुचावटी, डीग, भरतपुर	श्री मोहन सिंह, प्रधानाचार्य, राउमावि सोनगांव, भरतपुर	डीग

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर
दिनांक: 25.02.2019

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी–स/34180/18–19/
प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष/ ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर